परिशिष्ट—एक देखिए पेरा 3 (क)

अनुप्रमाणन फार्म

यहां पर पासपोर्ट साईज का स्व–हस्ताक्षरित फोटो चिपकायें

चेतावनी:--

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अर्नहता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा ।

- 2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विसर्जित किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि यह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तृत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, यदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिये हों (खात्मा) वापस ले लिए गये हों या उनमें अंततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो।
- 3. यदि तथ्य की अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगीं।

1	यदि कोई हो यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में (कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया इसका उल्लेख कीजिए)	
2	वर्तमान पूरा पता (अर्थात ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली, (मार्ग) सड़क	
	तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम	
	और राज्य जिसमें वह स्थित हो)	
	•	
3	(क) घर का पूरा पता — (अर्थात ग्राम,	<u>(क)</u>
	थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली,	
	(मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला	
	मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह	
	स्थित हा)	()
	। (क) गरि गान्स गारिस्तार के रिकामी कें	(ख)
	(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय	
	संघ प्रवास की तारीख)	

4. निवासी अविधयों सिहत उस स्थान के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों क दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेश (जिसमें पािकस्तान भी शािमल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिये जाने चािहए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात	पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित
		ग्राम, थाना तथा जिला अर्थात	स्थान के जिला मुख्यालय का
		घर क्रमांक, गली, (मार्ग) सड़क	नाम तथा वह राज्य जिसमें वह
		तथा नगर)	स्थित हो ।
(1)	(2)	(3)	(4)

5.	पिता का पूरा नाम तथा उपनाम यदि	
(क)	कोई हो	
(ख)	वर्तमान डाक-पता यदि स्वगवासी हों	
	तो पिछला पता दीजिए	
(ग)	घर का स्थायी पता	
(ਬ)	व्यवसाय	
(ड़.)	यदि किसी सेवा में हों तो उनका	
	पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए	
6.एक)	नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता	:
(क)	पिता	
(ख)	माता	
(ग)	पति / पत्नि	
(ਬ)	उम्मीदवार	
(दो)	पति/पत्नि का जन्म स्थान	
7.(क)	जन्म तारीख	
(ख)	वर्तमान आयु	
(ग)	हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के	
	समय आयु	
8.(क)	जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें	
	वह स्थित हो	
(ख)	वह जिला तथा राज्य जहां के आप	
	निवासी हैं	
9.(क)	आपका धर्म	
(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित	
	आदिम जाति के सदस्य हैं ? हॉ या	
	नहीं में उत्तर दीजिए और यदि	
	आपका उत्तर हॉं में हो तो उस जाति	
	विशेष का नाम लिखिए।	

10	शैक्षणिक अर्हताएं –			
	वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15			वेद्यालयों में 15
	वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो			
	शाला/महाविद्यालय का	प्रवेश की	शाला / महाविद्यालय	उत्तीर्ण परीक्षा
	नाम तथा पूरा पता	तारीख	छोड़ने की तारीख	
	(1)	(2)	(3)	(4)

11. यदि आप अभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए —

धारित पद का	अवधि		कार्यालय, फर्म अथवा	पिछली सेवा छोड़ने के
नाम या कार्य का			संस्था का पूरा पता	कारण
स्वरूप	से त	क	-	
(1)	(2)		(3)	(4)
12. (क) क्या आप	कभी गिरफ्तार कि	ये गये हैं	? क्या आप पर कभी	
अभियोजन चलाया	गया ह? क्या आप	कभी नि	रूद्ध किए गए हैं या	
			ा किया गया है? क्या	
आप किसी अपराध	के लिये न्यायालय	द्वारा दो	षी ठहराये गये हैं या	
	लोक सेवा आयोग ह			
			होने से वर्जित किया	
			क्या आपको किसी भी	
विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा				
किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है / निष्काषित किया				
गया है ?				
(ख) इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ?				

यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हो तो
आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माना दोषसिद्ध तथा
दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय
न्यायालय / विश्वविद्यालय / शैक्षणिक प्रधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका
स्वरूप बतलाना चाहिए, इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी
दिये जाएगें –

144		
(1)	अपराध/आरोप	
(2)	पुलिस थाने में पंजीबद्ध	
(3)	यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम	
(4)	मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया	
(5)	दिया गया दण्ड	
(6)	दोष मुक्ती, संदेह के लाभ पर आधारित थी, मामला वापस ले लिया गया था ।	
(7)	क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरूद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य है, या उससे सहयोजित रहे हैं ? यदि ऐसा हो तो पूर्ण विशिष्टियाँ दं, जैसे संगम संगठन का नाम, सदस्यता अथवा संबंद्धता की कालाविध/अविध इत्यादि ।	

अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किये जायेगें । न्यायालय से तथ्यों के आधार पर दोषमुक्त प्रत्याशी सेवा के योग्य होगा। टिप्पणी — अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें ।

स्थान तारीख	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
13. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निदेशियों के नाम जो आपको जानते हों ।	(2)
तारीख स्थान	उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण हैं । मैं ऐसी किसी भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा ।			
तारीखस्थान		 उम्मीदवार के हस्ताक्षर	
	पहचा	न प्रमाण पत्र	
प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए :— (एक) केन्द्रीय या राज्यशासन का राजपत्रित अधिकारी, (दो) संसद या विधानसभा मंडल का सदस्य (तीन) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी (चार) तहसीलदार, या नायब/उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यताप्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख (छः) खण्ड विकास अधिकारी (सात) पोस्ट मास्टर (आठ) पंचायत निरीक्षक ।			
प्रमाणित वि	केया जाता है कि मैं .श्री	/श्रीमती / कुमारी	
पिता/पति का ना	म श्री	को पिछले	
वर्ष माह से	जानता हूँ तथा उनके	द्वारा दिये गये ब्यौरे, जहां तक मुझे पता है और	
जहां तक मेरा विश	खास है, सही है।		
स्थान		हस्ताक्षर	
तारीख		पदनाम या	
		स्थिति तथा	
		पता	
	(कार्यालर	य द्वारा भरा जाएगा)	
(एक) नियुक्ति पदनाम औ			
(-)	ासके लिये उम्मीदवार ों विचार किया जा		